

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल 2024—चैत्र 14, शक 1946

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2024 (चैत्र 14, 1946)

क्र. 5127-म.प्र.वि.स.-16-विधान-2024.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक : 3 अप्रैल, 2024.

मंगुभाई पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.